कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 77/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना तरवां, आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

जमीनी विवाद में एसटी (मुसहर जाति) परिवार के साथ मारपीट व आगजनी प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

वादी श्री कलिंदर पुत्र जगरदेव निवासी ग्राम कोदोपुर उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 15.03.2025 की रात्रि में वह अपने परिवार सहित घर पर सो रहे थे। उसी दौरान ग्राम कोदोपुर निवासी— 01. रामाश्रय यादव पुत्र सुन्नर 02. विपिन उर्फ साजू पुत्र उदयभान 03. विनोद पुत्र सत्यनारायण 04. संजीव पुत्र रामाश्रय 05. अनिरुद्ध पुत्र रामाश्रय द्वारा पुराने जमीनी विवाद को लेकर उनके घर आए और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। तत्पश्चात वादी की झोपड़ी (मड़ई) में आग लगा दी, जिससे झोपड़ी व उसमें रखा समस्त घरेलू सामान जल गया। अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया। उक्त प्रकरण में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 55/2025, धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 326(छ) बी0एन0एस0 व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट का अभियोग बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 25.02.2026 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह क्षेत्र में मौजूद थे। मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **रामाश्रय यादव पुत्र सुन्नर यादव**, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम कोदोपुर उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को उचहुआ बाजार के पास से समय लगभग 07:55 बजे नियमानुसार हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 55/2025, धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 326(छ) बी0एन0एस0 व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का विवरण-

01. रामाश्रय यादव पुत्र सुन्नर यादव, उम्र: लगभग 56 वर्ष, निवासी: ग्राम कोदोपुर उचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 58/2025, धारा 115(2), 324(4), 351(3), 352 भादवि, थाना तरवां, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सौरभ कुमार सिंह, थाना तरवां, आजमगढ़।
3. का0 महेश यादव, थाना तरवां, आजमगढ़।
4. म0का0 पूजा सिंह, थाना तरवां, आजमगढ़।

थाना पवई, आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

जान से मारने की नियत से सिर पर बाँस की बेत से वार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना इतिहास /-

दिनांक 23.02.2026 को वादी राजेश पुत्र रामचेत निवासी ग्राम जल्दीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर लिखित तहरीर दी गई। वादी के अनुसार दिनांक 23.02.2026 को समय लगभग 07:00 बजे वह पड़ोसी राहुल पुत्र किसोरी लाल की माता का पेंशन बनवाने हेतु कागजात लेने उनके घर गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर राहुल द्वारा गाली-गलौज एवं कहा-सुनी की गई। जब वादी का पुत्र प्रिन्स बीच-बचाव करने आया, तो अभियुक्त राहुल ने लात-घूंसों से मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से बाँस की बेत से प्रिन्स के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और रक्तस्राव होने लगा। उक्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 40/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी बरामदगी का विवरण /-

दिनांक 25.02.2026 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह का0 अमित पाल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **राहुल पुत्र किसोरी लाल**, निवासी ग्राम गद्दोपुर पोस्ट रामापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष को उसके घर ग्राम गद्दोपुर से समय करीब 10:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त **एक अदद बाँस का बेत** बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राहुल पुत्र किसोरी लाल, निवासी: ग्राम गद्दोपुर पोस्ट रामापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र: लगभग 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 40/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 40/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना पवई, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 शिवकुमार यादव
- का0 अमित पाल

थाना तरवां, आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

युवती को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

वादिनी द्वारा दिनांक 16.02.2026 को थाना पर तहरीर दी गई कि दिनांक 15.02.2026 को समय लगभग 08:00 बजे रात्रि उनकी नाबालिग पुत्री एवं नाबालिग भतीजी को आशीष कुमार पुत्र बहादुर राम निवासी ग्राम खोजापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के उपरांत भी कोई पता नहीं चला। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2026, धारा 137(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 24.02.2026 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह थाना क्षेत्र में मौजूद थे। मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आशीष कुमार पुत्र बहादुर राम**, निवासी ग्राम खोजापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 20 वर्ष को समय लगभग 21:44 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 28/2026, धारा 137(2) बी0एन0एस0, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. आशीष कुमार पुत्र बहादुर राम, निवासी: ग्राम खोजापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, उम्र: लगभग 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवम द्विवेदी, थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 शैलेन्द्र कुमार, थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद, आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

नाबालिग के साथ दुष्कर्म कराने के षड्यंत्र व वीडियो बनाने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना इतिहास /-

दिनांक 16.02.2026 को थाना निजामाबाद पर तहरीर प्राप्त हुआ कि दिनांक 14.02.2026 को एक नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ईंट भट्ठे के समीप एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता जुगनू पत्नी अब्दुल्ला द्वारा अपने पति अब्दुल्ला पुत्र सोहराब निवासी रोवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को बुलाया गया, जिसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्ता द्वारा घटना का वीडियो मोबाइल फोन से बनाने तथा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का भी दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/2026, धारा 65(1), 127(2), 61(2), 351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है। मुख्य अभियुक्त अब्दुल्ला को दिनांक 19.02.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 25.02.2026 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह कर्मचारीगण गश्त/तलाश वांछित के दौरान गंधुवई रोड क्षेत्र में मौजूद थे। मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण से संबंधित अभियुक्ता जुगनू अपने एक रिश्तेदार के घर फरिहा क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फरिहा पोखरे के पास स्थित घर के बाहर से अभियुक्ता को समय लगभग 10:45 बजे हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता को मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 50/2026, धारा 65(1), 127(2), 61(2), 351(3) बी0एन0एस0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01. जुगनू पत्नी अब्दुल्ला, निवासी: ग्राम रोवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र: लगभग 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
02. का0 अवधेश सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
03. म0का0 सुमन गौड़, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

मारपीट व जान से मारने की धमकी के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना इतिहास /-

दिनांक 16.01.2026 को वादी श्री राजहंस चौहान पुत्र स्व० हरिमन चौहान निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पर लिखित तहरीर दी गई कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा उनके भाइयों धनीष एवं रजनीश को गाली-गलौज करते हुए रॉड एवं कट्टे की बट से मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना में धनीष के सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया तथा रजनीश भी गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तगण—

1. तारकेश्वर यादव
2. लालु यादव
3. अभिमन्यु यादव

   निवासीगण ग्राम कपारगढ़ थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ एवं दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 028/2026, धारा 3(5)/109/115(2)/110/352/351(3) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अमित कुमार वर्मा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा कार्यवाही की गई। दिनांक 25.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **अभिमन्यु यादव पुत्र सूर्यबली यादव निवासी ग्राम कपारगढ़ थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़** को ग्राम नरहन गेट के पास से समय लगभग 12:35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 028/2026, धारा 3(5)/109/115(2)/110/352/351(3) बी0एन0एस0, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभिमन्यु यादव पुत्र सूर्यबली यादव, निवासी: ग्राम कपारगढ़ थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 028/2026 धारा 3(5)/109/115(2)/110/352/351(3) बीएनएस थाना जीयनपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 532/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0184/2023 धारा 120B, 216A, 395, 412 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 0357/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना रानी की सराय, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर
2. हे0का0 राजेश कुमार, थाना जीयनपुर

थाना दीदारगंज, आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25000 रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 31.01.2026 को वादी प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश, थाना दीदारगंज द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु वाहन चोरी, नकबजनी आदि जघन्य अपराध संगठित रूप से किए जा रहे हैं, जिससे आमजन में भय व्याप्त है तथा गवाहों को भयभीत किया जा रहा है। उक्त आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 19/2026 पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्तगण— 01. बीरु कुमार पुत्र फिरन्ती निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 03. शनि गौतम पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 04. जय कुमार गौतम पुत्र दलसिंगार निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 19/2026, धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्र0नि0 भुवनेश कुमार चौबे, थाना सरायमीर द्वारा की जा रही है। अभियुक्त **शनि गौतम** उपरोक्त मुकदमे में फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा ₹25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशानुसार वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश मय पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग/तलाश वांछित में मौजूद थे। मुखबिर खास की सूचना पर कुशलगांब बस स्टैंड चौराहे पर दबिश दी गई, जहाँ संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **शनि गौतम पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष** बताया। अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त का बोध कराते हुए समय लगभग 08:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 19/2026, धारा 2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शनि गौतम पुत्र लालचन्द, निवासी: ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र: लगभग 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	289/24	331(4), 305, 317(2) बीएनएस	दीदारगंज	आजमगढ़
2	124/25	303(2), 317(2) बीएनएस	दीदारगंज	आजमगढ़
3	125/25	317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
4	225/25	303(2), 317(2) बीएनएस	सिधारी	आजमगढ़
5	19/26	2ख(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 जयप्रकाश, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अवधेश कुमार, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 तेरसू यादव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
4. हे0का0 अनिल कुमार यादव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
5. का0 उपेन्द्र कुमार, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट

दिनांक : -25-02-2026

मिशन शक्ति एवं साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर क़स्बा पवई थाना पवई में संयुक्त चौपाल का आयोजन

थाना पवई क्षेत्र अंतर्गत क़स्बा पवई में आज मिशन शक्ति अभियान एवं साइबर क्राइम जागरूकता के अंतर्गत एक संयुक्त चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम **श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल निर्देशन में,थानाध्यक्ष श्री गोपाल जी के नेतृत्व में और महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्री वकील सिंह** द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

चौपाल के दौरान महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा से जुड़ी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, लाभकारी कार्यक्रमों एवं महिलाओं के लिए उपलब्ध टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्री वकील सिंह द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ उनके अभिवावकों को महिला अधिकारों, सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती,कृष्ण कुमार मिश्रा तथा महिला मुख्य आरक्षी जानकी सिंह ,महिला आरक्षी पूजा पाण्डेय, आरक्षी सर्वेश कुमार, द्वारा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित टोल फ्री नम्बरों को डिटेल में समझाया गया है पंपलेट का वितरण किया गया।
साइबर क्राइम जागरूकता सत्र में उप निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा साइबर अपराधों के नए-नए तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों पर सरल एवं प्रभावी ढंग से जानकारी दी गई। जिसके तहत प्रमुख 10 बिन्दुओ को समझाया गया

1️⃣ अज्ञात कॉल/मैसेज से सावधान रहें
अगर कोई बैंक, पुलिस, बिजली विभाग या सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करे और OTP/लिंक मांगे—तो तुरंत कॉल काट दें।

2️⃣ OTP किसी को न बताएं
OTP आपकी डिजिटल चाबी है। बैंक, पुलिस या कोई भी अधिकारी कभी OTP नहीं मांगता।

3️⃣ फर्जी लिंक पर क्लिक न करें
लॉटरी, KYC अपडेट, बिजली बिल, GST रिफंड जैसे लिंक अक्सर फ्रॉड होते हैं।

4️⃣ महिलाओं व बच्चियों की ऑनलाइन सुरक्षा
सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो या निजी जानकारी अंजान लोगों से साझा न करें।

5️⃣ सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखें
मजबूत पासवर्ड रखें और Two-Factor Authentication (2FA) अवश्य चालू रखें।

6️⃣ डिजिटल भुगतान करते समय सावधानी
UPI “Receive Money” के नाम पर पैसे भेजने का ऑप्शन कभी न दबाएं।

7️⃣ फर्जी नौकरी और लोन ऑफर से बचें
घर बैठे कमाई, सरकारी नौकरी, आसान लोन—अधिकतर धोखाधड़ी होती है।

8️⃣ मोबाइल में अनजान ऐप इंस्टॉल न करें
APK फाइल या स्क्रीन शेयर ऐप से आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल हो सकता है।

9️⃣ ठगी होने पर तुरंत शिकायत करें
जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रकम बचने की संभावना।

10️⃣ राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर याद रखें – 1930
या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामवासियों से अपील की गई कि वे स्वयं सतर्क रहें, डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। इस संयुक्त चौपाल में छात्र एवं छात्राओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही और कार्यक्रम को अत्यंत सकारात्मक एवं सराहनीय प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

□ मिशन शक्ति : सुरक्षित महिला, सशक्त समाज

□ साइबर सुरक्षा : जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

प्रेस नोट

दिनांक: 25.02.2026

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक सम्पन्न – 01 प्रकरण में समझौता

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 25.02.2026 को थाना कोतवाली आजमगढ़ परिसर स्थित

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 03 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया था। तीनों पत्रावलियों में पक्षकार उपस्थित हुए।

कार्यवाही का विवरण-

- **01 पत्रावली में** अथक प्रयास एवं काउंसलिंग के उपरांत दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से समझौता कराया गया। प्रकरण में पारिवारिक विवाद, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट एवं गाली-गलौज के आरोप अंकित थे। दोनों पक्षों की संयुक्त एवं पृथक-पृथक काउंसलिंग कर सुलह-समझौता कराकर विदाई कराई गई।
- **01 पत्रावली** अन्य कारणों से बंद की गई।
- **शेष 01 पत्रावली** में अगली तिथि नियत कर दोनों पक्षों को पुनः नोटिस/दूरभाष द्वारा सूचित कर मिडिएशन की कार्यवाही की जाएगी।

☐ नई किरण परियोजना का उद्देश्य-

नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जनपद में पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा तथा माननीय पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों के कार्यभार में कमी आएगी।

कुल समझौते:- 01

उपस्थित अधिकारीकर्मचारी/-

1. उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी – प्रभारी, परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
2. उ0नि0 सत्यनारायण यादव – प्रभारी, परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
3. आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता

प्रेस-विज्ञप्ति, आजमगढ़
दिनांक: 25.02.2026

सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में बड़ी पहल: ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमन एवं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की संयुक्त मॉक ड्रिल

डा० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 25.02.2026 को आमजन की सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की संयुक्त टीम द्वारा **सर्वोदय महिला डिग्री कॉलेज** में एक भव्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं/छात्रों को विभिन्न आपात स्थितियों के प्रति जागरूक किया गया तथा व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता-

टीएसआई जयशंकर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीटबेल्ट की अनिवार्यता तथा दुर्घटना की स्थिति में 'गोल्डन ऑवर' के दौरान घायलों की सहायता करने के संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी गई।

अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रदर्शन-

अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा 'अग्नि सुरक्षा' का जीवंत प्रदर्शन किया गया। गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में उसे सुरक्षित तरीके से बुझाने के उपाय तथा बहुमंजिला भवनों में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने (Rescue Operation) का अभ्यास कराया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जागरूकता-

उ0नि0 वरुणेश कुमार मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा उपस्थित छात्राओं को 'वूमेन पावर लाइन 1090', मिशन शक्ति तथा अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही विषम परिस्थितियों में आत्मरक्षा (Self Defense), डिजिटल फ्रॉड, ओटीपी स्कैम एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विस्तार से जागरूक किया गया।

उद्देश्य-

इस संयुक्त मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित खतरों के प्रति सचेत करना, आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देना तथा पुलिस एवं अन्य विभागों के समन्वित प्रयासों को प्रदर्शित करना रहा।

"इस प्रकार की संयुक्त मॉक ड्रिल से न केवल पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ती है, बल्कि आमजन में सुरक्षा का विश्वास भी सुदृढ़ होता है। किसी भी आपात स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम कम करना हमारी प्राथमिकता है।"

उपस्थित अधिकारीकर्मचारी/-

यातायात शाखा से:-

- उ0नि0 जयशंकर सिंह
- का0टी0पी0 रत्नेश यादव

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, पुलिस कार्यालय आजमगढ़ से:-

- उ0नि0 वरुणेश कुमार मिश्रा (प्रभारी)
- का0 विजय बहादुर सिंह
- म0का0 प्रतिमा देवी
- म0का0 ऋतुम्भरा

अग्निशमन शाखा से:-

- फायरमैन धनंजय यादव
- फायरमैन प्रकाश कुमार शाह
- फायरमैन जय प्रकाश यादव

प्रेस नोट – आजमगढ़

दिनांक: 25.02.2026

न्यायालय परिसर में सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं जजी मैदान में वाहनों की निगरानी के लिए आज नए CCTV कैमरे लगाए गए

आज दिनांक *25.02.2026* को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार* के निर्देशन में *न्यायालय परिसर* के *मुख्य गेटों* और *जजी मैदान* में खड़े वाहनों की सुरक्षा और नियंत्रण को और सुदृढ़ बनाने के लिए *ऑपरेशन त्रिनेत्र* के तहत **नए CCTV कैमरे** लगाए गए।

इन कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर में संदिग्ध गतिविधियों की **24 घंटे निगरानी** की जा रही है। विशेष ध्यान **जजी मैदान में खड़ी वकीलों और आम नागरिकों की गाड़ियों** पर दिया गया है, ताकि किसी भी असामान्य या संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

नई व्यवस्था – जजी मैदान

- न्यायालय आने वाले सभी वाहनों को **जजी मैदान में पार्क** कराया जाएगा।
- जजी मैदान का सम्पूर्ण परिसर अब **CCTV निगरानी में रखा गया है**, जिससे वाहन सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी गाड़ियों को केवल जजी मैदान में ही पार्क करें।
- इस व्यवस्था के माध्यम से **वाहनों की चोरी, क्षति या अन्य असामान्य गतिविधियों** पर नियंत्रण रखा जाएगा।

उद्देश्य-

➡ न्यायालय परिसर में उपस्थित नागरिकों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

➡ संदिग्ध गतिविधियों पर वास्तविक समय में सतत निगरानी रखना।

➡ किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

➡ परिसर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना।

निष्कर्ष:-

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए CCTV कैमरों और जजी मैदान में नई पार्किंग व्यवस्था से न्यायालय परिसर में सुरक्षा, सतर्कता और व्यवस्थित वातावरण को और अधिक मजबूती मिली है। इससे आमजन और न्यायिक अधिकारियों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस